प्रभावी तथा उत्तरदायी बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाने वाली अपेक्षित पहल की पहचान आकसमिक कार्य योजना द्वारा की जाती है। इसी तरह राज्य स्तर पर राहत नियमावली प्रतिपादित की गई है।

(ख) नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1993-94 और 1994-95 के प्रत्येक वर्ष के लिए सभी राज्यों के आपदा राहत कोष के लिए 804.00 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई। वर्ष 1995-96 के लिए, 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आपदा राहत कोष के लिए 1130.26 करोड़ रु० और वर्ष 1994-95 के दौरान 574.00 करोड़ रु० उपयोग की सूचना दी है। राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1995-96 के खर्च के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

(ग) से (ङ) दसवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर गंभीर किस्म की आपदाओं के आने पर राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए एक राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का गठन किया गया है। 1995-96 से 1999-2000 तक के पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत 700.00 करोड़ रु० का आवंटन है। एक राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा आयोग का गठन करना आवश्यक नहीं समझा गया।

Steps to Check Pollution of Sea Water

2050. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether millions of fishermen living on the coast-line are finding it difficult to earn their livelihood due to pollution of sea-water; and

(b) if so, what steps Government propose to take to check the sea water pollution?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAIN PRASHAD NISHAD): (a) There is no specific information available regarding the difficulties experienced by the fishermen in earning their livelihood due to pollution of sea water.

(b) Steps taken by the Government to prevent coastal pollution include:

(1) National River Action Plan has been drawn up, which would to a great extent, held in preventing the flow of untreated pollutants in the coastal waters.

(2) The polluting industries and Local Bodies discharging waste water into the sea have been advised by the State Pollution Control Boards of coastal states viz., Gujarat, Karnataka Maharashtra, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, West Bengal to treat the effluent before discharging into the sea.

(3) Under the Environment (Protection) Act, 1986, rules have been framed for regulation of activities in the coastal areas and declaring coastal stretches as Coastal Regulation Zone.

(4) Periodical monitoring of the critical coastal areas is done by the Department of Ocean Development in collaboration with the Central Pollution Control Board, National Institute of Oceanography and other Research and Development Institutes, under the Coastal Ocean Monitoring and Prediction System (COMAPS) Programmes.

बिहार में केन्द्रीय विद्यालय

2051. **श्री नागमणि:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय बिहार में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं और वे कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार से अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;